

मूल वाद में ~~डा. वि. डिक्री~~ डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

उनवान

ओमप्रकाश बनाम मनोहरी वगै०

मुकदमा नं. :- 129/2023

निर्णय दिनांक : 17.01.2025

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री जयप्रकाश पुनिया की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 17.01.2025 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बाकरा पटवार हल्का बाकरा में भूमि हाल ख.न. 867 रकबा 0.73 हैक्टर मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 कृषि भूमि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा मुर्तिब किया गया।



Eg. 17/1/25
(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	3	योग	

Eg. 17/1/25
(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
झुन्झुनू (राज.)